न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
प्रार्थना पत्र संख्या–937/2026
राज्य बनाम भगत पाल सिंह

दिनांक–17.03.2026

पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित कुमार सिलवाल को प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.03.2026 पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थी/आवेदक पर आक्षेप है कि उसके द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को अपशब्द कहे गये, झगडा किया गया, जान से मारने की धमकी दी गयी तथा क्षति पहुंचायी गयी। अभियुक्त रिग में काम करता है जिसके चलते लगभग 28 दिन के लिये बॉम्बे हाई(अरब सागर) में रहना होता है तथा 28 दिन के ऑफ हेतु वापस आना होता है जिसके लिये उसे लगभग हर माह संबंधित बंदरगाह से ऑफशोर आने जाने हेतु जहाज यात्रा करनी होती है जिसके लिये पासपोर्ट की अनिवार्यता है। प्रार्थी/अभियुक्त पासपोर्ट सं0 Z6511260 का धारक है जो कि दिनांक 27.04.2026 तक ही वैध है। अभियुक्त के उक्त पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र रेफरेंन्स स0 26–0055949886 संबंधित पासपोर्ट कार्यालय में लंबित है। पासपोर्ट व नवीनीकरण आवेदन पत्र की छायाप्रति शपथपत्र के माध्यम से संलग्नक है। अभियुक्त को न्यूनतम 05 वर्ष के लिये पासपोर्ट नवीनीकरण व रिग पर जाने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है।

3 उक्त प्रार्थनापत्र पर थाना प्रेमनगर जिला देहरादून से आख्या प्राप्त हुई कि विवेचना उपरोक्त में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। विवेचना प्रचलित है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. थाना प्रेमनगर से प्राप्त आख्यानुसार विदित है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना प्रेमनगर देहरादून में अन्तर्गत धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 भा0द0सं0 में अभियोग पंजीकृत है जिसकी विवेचना अभी लम्बित चली रही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यदि उसका पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं होता है तो उसकी नौकरी चली जायेगी।

पासपोर्ट के आवेदनपत्र में वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तो उस व्यक्ति को उस न्यायालय से पासपोर्ट बनाने की अनुमति लेनी होगी। V.I/401/1/3/2014 Ministry of external offairs, CPV do vision New Delhi Dated 21 August, 2014 के द्वारा जारी सर्कुलर में ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही लम्बित है, के पासपोर्ट जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार If a criminal case is pending against an applicant in any court applicant can apply for a passport subject to the condition that he/she encloses a written permission granted by the Court allowingthe applicant to travel abroad, Normally a short validity passport valid for one year is issued"

अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त सर्कुलर के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पूर्ण अनुपालन करने पर अभियुक्त को इस शर्त के साथ पासपोर्ट के संबंध में अनापत्ति प्रदान की जाती है कि अभियुक्त नियमानुसार विवेचना में सहयोग करेगा और किसी भी रूप में न्यायालय की कार्यवाही को बाधित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त पासपोर्ट के लिये दी गयी अनापत्ति का दुरूपयोग करता है या न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करता है तो न्यायालय अनुमति के पासपोर्ट के निरस्ती के संबंध में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा तथा अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के सम्बन्ध में आवेदिक/अभियुक्त भगत पाल सिंह सहगल न्यायालय में एक बन्धपत्र व अण्डरटेकिंग देगें।

तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(रमेश चन्द्र)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून